# न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

| मि0 न0 | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 43 / 2025 | 27.03.2025 | 03.11.2025 |

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

पुष्पलता बाई उर्फ ललता बाई पुत्री चतुर्भुज पत्नी रामचरण जाति मीणा निवासी पीपल्दा हाल बोरदा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

सहायक कलेक्टर एवम् दण्डनायक मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते दीगोद

**–: निर्णय :–**

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दाबीरम पटवार हल्का कोटडादीपसिंह भू0अ0नि0 बडौद तहसील दीगोद में खाता नं0 30 पर खसरा नं0 418 रकबा 0.70 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि वादनी के शामलाती खातें में दर्ज है। जिसमें वादनी का 1/24 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में वादनी के पिता चतुर्भुज व श्रीलाल व शान्ति बाई व कौशल्या बाई के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही थी जिसमें वादनी के पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज था चतुर्भुज जी की मृत्यु के बाद उनका फौती नामा0 तस्दीक किया गया जिसमें अन्य वारिसान के साथ वादनी का नाम घर का नाम ललता बाई दर्ज कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम बोलता नाम ललता बाई अंकित है। वादनी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पंचायत तस्दीक आदि सभी जगह वादनी का नाम पुष्पलता बाई अंकित है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ललता बाई दर्ज होने के कारण वादनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम ललता बाई के स्थान पर पुष्पलता बाई अंकित करना आवश्यक हो गया है इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 06.03.2025 को निवेदन करने पर

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम पीपल्दाबीरम तहसील दीगोद जिला कोटा के खाता संख्या 30 पर खसरा नं0 418 रकबा 0.70 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ललताबाई के स्थान पर पुष्पलता बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम ललिताबाई पुत्री चतुर्भुज के स्थान पर पुष्पलता बाई उर्फ ललिताबाई पुत्र चतुर्भुज दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।प्रकरण को बहस पर नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया ग्राम पीपल्दाबीरम पटवार हल्का कोटडादीपसिंह भू0अ0नि0 बडौद तहसील दीगोद में खाता नं0 30 पर खसरा नं0 418 रकबा 0.70 है0 भूमि में वादनी का नाम ललताबाई पुत्री चतुर्भुज के स्थान पर ललता बाई उर्फ पुष्पलता बाई पुत्री चतुर्भुज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद, दीगोद कोटा (राज.)

डिक्री मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

# अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

**उनवान**

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

पुष्पलता बाई उर्फ ललता बाई पुत्री चतुर्भुज पत्नी रामचरण जाति मीणा निवासी पीपल्दा हाल बोरदा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0। (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

**मिसल नम्बर**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्दाबीरम पटवार हल्का कोटडादीपसिंह भू0अ0नि0 बडौद तहसील दीगोद में खाता नं0 30 पर खसरा नं0 418 रकबा 0.70 है0 भूमि में वादनी का नाम ललता बाई पुत्री चतुर्भुज के स्थान पर ललता बाई उर्फ पुष्पलता बाई पुत्री चतुर्भुज दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|
| मुदई | रूपये | पैसे |
| | 0 | 0 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | | |

| स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|
| मुदालयह | रूपये | पैसे |
| | 0 | 0 |
| स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | | |

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद
सत्यमेव जयते